

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प मण्डा सुरेरा

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मण्डा सुरेरा व भूअ.नि. मण्डा सुरेरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम केशरपुर प0ह0 मण्डा सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>केशरपुर</u> का <u>ब्यार</u>	खसरा नम्बर - 247 का 249 किता 3 कुल नम्बर 5-98 ई०	प्रार्थी का नाम <u>केशरपुर रामू</u>	प्रार्थी का नाम <u>केशरपुर रामू</u> दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं किसी भी कारणों से खसरा नम्बर के दर्ज की शेष <u>पटवारी बसुर</u> वगै
2	<u>पुष्परीराफ</u> का <u>ब्यार</u>	खसरा नम्बर - 310, 312, 313, 314 / 490, 316 / 500 किता - 5 कुल नम्बर 1-29 ई०		

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक: - 18/10/21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 173
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर